न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान मनीराम सिंह बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 338/2025
निर्णय दिनांक 21-08-2025

मनीराम सिंह पुत्र श्योपाल जाति जाट निवासी सात्यू तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड कृषि भूमि रोही मौजा सात्यूं पटवार हल्का सात्यूं तहसील तारानगर के खाता संख्या 161 खसरा सं. 664 तादादी 13.3152 हैक्ट, खसरा नं. 724 तादादी 10.0528 हैक्ट. में मनीराम पुत्र श्योपाल है जबकि अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राजस्व जमावंदी सात्यूं खाता सं. 859 में नाम मनी राम सिंह पुत्र श्योपाल है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मनीराम पुत्र श्योपाल के स्थान पर मनी राम सिंह पुत्र श्योपाल अंकित किये जाने की कृपा करावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संवंध में तहसीलदार तारानगर के पत्रांक राजस्व/2025/383 दिनांक 11.08.2025 द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताविक जांच रिपोर्ट के रोही सात्यूं की जमाबंदी खाता सं. 859 एवं अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड में प्रार्थी मनी राम सिंह पुत्र श्योपाल का सही नाम मनी राम सिंह पुत्र श्योपाल है। अतः ग्राम सात्यूं की उक्त जमावंदी खाता संख्या 161 में मनीराम पुत्र श्योपाल की वजाय मनी राम सिंह पुत्र श्योपाल नाम किया जाना उचित है

तहसीलदार तारानगर से प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम मनीराम पुत्र श्योपाल व मनी राम सिंह पुत्र श्योपाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम मनी राम सिंह पुत्र श्योपाल पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम मनीराम पुत्र श्योपाल अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा सात्यूं पटवार हल्का सात्यूं तहसील तारानगर के खाता संख्या 161 खसरा सं. 664 तादादी 13.3152 हैक्ट, खसरा नं. 724 तादादी 10.0528 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी का नाम मनीराम पुत्र श्योपाल **Delete** कर इसके स्थान पर मनी राम सिंह पुत्र श्योपाल अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेप राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21-08-2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)